भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3349
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

डिजी यात्रा बायोमीट्रिक बोर्डिंग नीति

3349. डॉ. टी.सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडि यन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डिजी यात्रा बायोमीटर्कि बोर्डिंग नीति यात्रियों के चेहरे की बायो मीटर्कि सूचना प्रदान किए बिना डिजी यात्रा का लाभ उठाने की अनुमति देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हवाई अड्डों पर यात्रियों को इस विकल्प का विज्ञापन/सुझाव प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम की 01.01.2022 और 01.03.2025 के बीच सीईआरटी-इन ऑडिट हुई है और यदि हां, तो ऐसी लेखा परीक्षा के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लोगों के चेहरे की पहचान संरचना का उपयोग करते हुए डिजी यात्रा को होटलों, रेलगाड़ि यों और परिवहन सेवाओं तक बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा के साथ जुड़ी समस्याओं का इन सेवाओं में दुहराव न हो;

(घ) क्या डिजी यात्रा सेवा को विभिन्न अन्य सेवाओं तक बढ़ाने से पहले कोई हितधारक/जन परामर्श हुआ है या किया जाएगा और यदि हां, तो सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2024 से देश के अधिक हवाई अड्डों में डिजी यात्रा के विस्तार के लिए आबंटित कुल धनराशि कितनी है; और

(च) 01.03.2025 तक डिजी यात्रा के होटलों, रेलगाड़ियों और परिवहन सेवाओं में विस्तार के लिए आबंटित कुल निधि कितनी है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : डिजी यात्रा का उपयोग हवाईअड्डों पर यात्रियों के लिए सुगम और बाधा-रहित अनुभव प्रदान करके बायोमेट्रिक-आधारित यात्रा हेतु किया जाता है और यह फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक पर आधारित है। यात्री का सत्यापन योग्य विवरण तैयार करने के लिए चेहरे की बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। तथापि, जो यात्री डिजी यात्रा सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, वे चेहरे की बायोमेट्रिक जानकारी दिए बिना हवाईअड्डों पर मौजूदा मैन्युअल प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

(ख) : जी हां, डिजी यात्रा केंद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऐप्स और हवाईअड्डा सत्यापनकर्ताओं का व्यापक सीईआरटी-इन ऑडिट किया गया है। ऑडिट में यह पाया गया कि डिजी यात्रा डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और प्रशासन के लिए उद्योग की सभी सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : इस पहल के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत/जारी नहीं की गई है। उक्त व्यय हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा वहन किया जाता है।

(च) : प्रश्न नहीं उठता।

******